

प्रेस नोट जनपद प्रतापगढ़ दिनांक- 22.09.2026

थाना मानिकपुर, जनपद प्रतापगढ़

थाना मानिकपुर पुलिस द्वारा बकरी चोरी के अभियोग में वांछित 01 अभियुक्त गिरफ्तार, चोरी की बकरियों की बिक्री से प्राप्त ₹600/- बरामद-

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर के निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना मानिकपुर पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 197/2026 धारा 303(2)/317(2)/3(5) बीएनएस से संबंधित वांछित अभियुक्त राजू सोनकर उर्फ सऊदी पुत्र गुलाब सोनकर निवासी चौकापारपुर, थाना मानिकपुर, जनपद प्रतापगढ़, उम्र करीब 26 वर्ष को गिरफ्तार किया गया।

थाना मानिकपुर पुलिस द्वारा देखभाल क्षेत्र एवं वांछित अभियुक्तों की तलाश के दौरान मुखबिर की सूचना पर अबुल आरा मशीन से पहले भानापुर रोड पर आम की बाग, बहद ग्राम यादव पट्टी से अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त की जामा तलाशी से चोरी की बकरियों की बिक्री से प्राप्त ₹600/- नगद बरामद किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

वादिनी निवासी पूरे अली नकी के अनुसार दिनांक 09.08.2026 को समय करीब 01:30 बजे तीजा कार्यक्रम के दौरान सफेद रंग की चार पहिया वाहन सवार अज्ञात व्यक्तियों द्वारा चना दाल डालकर शांति देवी की 04 एवं समा बानो की 02, कुल 06 बकरियों को वाहन में लादकर ज्वाला देवी मंदिर की ओर ले जाया गया। उक्त प्रकरण में थाना मानिकपुर में मु0अ0सं0 197/2026 धारा 303(2) बीएनएस के अंतर्गत अज्ञात के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया है।

पूछताछ का विवरण-

गिरफ्तार अभियुक्त राजू सोनकर उर्फ सऊदी ने पूछताछ में बताया कि दिनांक 09.08.2026 को उसने अपने साथी के साथ मिलकर पूरे अली नकी से बकरियां चोरी करने की योजना बनाई थी। दोनों ने क्षेत्र में रेकी करने के बाद मौके का फायदा उठाकर 07 बकरियों को चार पहिया वाहन में लादकर ले गए तथा बाद में बकरियों का आपस में बंटवारा कर लिया। अभियुक्त के हिस्से में आई 03 बकरियों को

₹9,000/- में बेच दिया, जिसमें से ₹8,400/- खर्च हो गए तथा शेष ₹600/- उसके पास मौजूद थे, जिन्हें पुलिस द्वारा बरामद किया गया। अभियुक्त ने यह भी बताया कि उसका साथी शहबाज पूर्व में पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है तथा वह अपने हिस्से की बकरियां बेचकर कहीं जाने की फिराक में था।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

राजू सोनकर उर्फ सऊदी पुत्र गुलाब सोनकर, निवासी चौकापारपुर, थाना मानिकपुर, जनपद प्रतापगढ़, उम्र करीब 26 वर्ष।

बरामदगी-

1-चोरी की बकरियों की बिक्री से प्राप्त ₹600/- नगद।

पुलिस टीम-

उ0नि0 मनोज कुमार पाण्डेय मय हमराह कां0 भीमराव, कां0 रामदेव गौतम एवं कां0 दर्वेश कुमार, थाना मानिकपुर, जनपद प्रतापगढ़।

थाना आसपुर देवसरा, जनपद प्रतापगढ़

थाना आसपुर देवसरा पुलिस द्वारा दुष्कर्म के अभियोग में वांछित 01 अभियुक्त गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना आसपुर देवसरा पुलिस द्वारा धारा 64(1)/351(3) बीएनएस से संबंधित वांछित अभियुक्त शुभम गौतम पुत्र सुरेश गौतम, उम्र करीब 20 वर्ष, निवासी ग्राम पूरा, थाना आसपुर देवसरा, जनपद प्रतापगढ़ को दिनांक 22.09.2026 को देवरखा ओवरब्रिज के नीचे से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1. शुभम गौतम पुत्र सुरेश गौतम, उम्र करीब 20 वर्ष, निवासी ग्राम पूरा, थाना आसपुर देवसरा, जनपद प्रतापगढ़।

पुलिस टीम-

उ०नि० अवधराज यादव, का० अजीत चौहान एवं का० नन्दकिशोर, थाना आसपुर देवसरा, जनपद प्रतापगढ़।

थाना देल्हूपुर, जनपद प्रतापगढ़

थाना देल्हूपुर पुलिस द्वारा चोरी के अभियोग में वांछित 01 अभियुक्त गिरफ्तार, चोरी के आभूषण व अन्य सामान बरामद।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर के निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना देल्हूपुर पुलिस द्वारा मु०अ०सं० 154/2026 धारा 331(4)/305 बीएनएस से संबंधित वांछित अभियुक्त हिमांशु कन्नौजिया पुत्र फूलचन्द्र कन्नौजिया निवासी ग्राम छितपालगढ़, थाना देल्हूपुर, जनपद प्रतापगढ़, उम्र करीब 23 वर्ष को गिरफ्तार किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 21.09.2026 की रात्रि थाना देल्हूपुर क्षेत्रान्तर्गत ग्राम मल्हूपुर में वादिनी के घर में अज्ञात व्यक्ति द्वारा घुसकर एक छोटे बैग में रखे आभूषण (करधनी, पायल, अंगूठी व मंगलसूत्र) तथा पैन कार्ड चोरी कर लिया गया। वादिनी द्वारा हिमांशु पुत्र फूलचन्द्र निवासी छतरगढ़ छितपालगढ़ पर चोरी किए जाने का संदेह व्यक्त किया गया है। उक्त प्रकरण में थाना देल्हूपुर पर मु०अ०सं० 154/2026 धारा 331(4)/305 बीएनएस पंजीकृत किया गया है।

पूछताछ का विवरण-

पूछताछ में अभियुक्त ने बताया कि उसने लालच में आकर वादिनी के घर से गहने आदि चोरी किए थे तथा चोरी का सामान अपने पास रखा था। अभियुक्त की निशानदेही पर उसके घर से उक्त चोरी का सामान बरामद किया गया। बरामद सामान को वादिनी मुकदमा को दिखाया गया, जिसे वादिनी द्वारा अपने घर से चोरी हुआ सामान बताया गया। बरामदगी के आधार पर मुकदमे में धारा 317(2) बीएनएस की बढ़ोत्तरी की गई है।

बरामदगी का विवरण-

01 अदद करधन, सफेद धातु।

01 जोड़ी हाथ फूल, सफेद धातु।

04 जोड़ी पायल, सफेद धातु।

10 अदद लच्छा, सफेद धातु।

03 अदद नग वाली अंगूठी, सफेद धातु।

02 अदद लॉकेट, पीली धातु।

07 जोड़ा मीना, सफेद धातु।

01 अदद पैन कार्ड।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1-हिमांशु कन्नौजिया पुत्र फूलचन्द्र कन्नौजिया, निवासी ग्राम छितपालगढ़, थाना देल्हूपुर, जनपद प्रतापगढ़, उम्र करीब 23 वर्ष।

पुलिस टीम-

उ0नि0 सुरेश पटेल, उ0नि0 वीरेन्द्र कुमार, उ0नि0 मारकण्डेय सिंह यादव, हे0का0 विनोद सिंह, म0का0 शालिनी यादव, थाना देल्हूपुर जनपद प्रतापगढ़।

थाना हथिगवां, जनपद प्रतापगढ़

थाना हथिगवां पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 1150 ग्राम अवैध गांजा बरामद-

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा मादक पदार्थों की तस्करी एवं बिक्री के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना हथिगवां पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 211/2026 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट से संबंधित अभियुक्त संदीप कुमार उर्फ मोनू पुत्र प्रभाशंकर मिश्रा, उम्र करीब 40 वर्ष, निवासी ग्राम सराय कीरत नया पुरवा, थाना हथिगवां, जनपद प्रतापगढ़ को सराय कीरत-भदरी नहर पुलिया के पास से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से 1150 ग्राम अवैध गांजा बरामद किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1. संदीप कुमार उर्फ मोनू पुत्र प्रभाशंकर मिश्रा, उम्र करीब 40 वर्ष, निवासी ग्राम सराय कीरत नया पुरवा, थाना हथिगवां, जनपद प्रतापगढ़।

बरामदगी-

1150 ग्राम अवैध गांजा।

पुलिस टीम-

प्रभारी निरीक्षक सत्येन्द्र सिंह, ASI लालबहादुर सिंह का0 हर्षवर्धन सिंह, का0 अंकित कुमार, म0का0 पूजा, म0का0 चंचल यादव एवं, थाना हथिगवां, जनपद प्रतापगढ़।

थाना फतनपुर, जनपद प्रतापगढ़

थाना फतनपुर पुलिस द्वारा चोरी के अभियोग में 01 अभियुक्त गिरफ्तार, चोरी के आभूषण व नगदी बरामद-

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर के निर्देशन में वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी एवं अपराध/अपराधियों पर प्रभावी नियंत्रण हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना फतनपुर पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 238/2026 धारा 305(ए) बीएनएस में प्रकाश में आए अभियुक्त शुभम विश्वकर्मा उर्फ मिंटू विश्वकर्मा पुत्र मुन्नालाल निवासी ग्राम दांदूपुर मुफरिद थाना दिलीपपुर जनपद प्रतापगढ़, उम्र करीब 21 वर्ष को गिरफ्तार किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण- दिनांक 20.09.2026 को वादिनी शकुन्तला देवी के घर का ताला तोड़कर दो जोड़ी पायल, एक नाक की कील एवं करीब ₹5,000/- नगद चोरी किए जाने के संबंध में थाना फतनपुर पर मु0अ0सं0 238/2026 धारा 305(ए) बीएनएस पंजीकृत किया गया था। विवेचना के दौरान पुलिस टीम द्वारा संदिग्ध व्यक्ति/वाहन चेकिंग एवं चोरी गए माल की तलाश के क्रम में मुखबिर की सूचना पर अभियुक्त शुभम विश्वकर्मा उर्फ मिंटू विश्वकर्मा को बसिरहा नाले के पास से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त की जामा तलाशी से 02 जोड़ी पायल सफेद धातु, 01 नाक की कील पीली धातु एवं ₹4,420/- नगद बरामद हुए, जिसकी पहचान वादिनी द्वारा अपने चोरी गए सामान के रूप में की गई। बरामदगी के आधार पर अभियोग में धारा 317(2) बीएनएस की बढ़ोत्तरी की गई।

पूछताछ विवरण- गिरफ्तार अभियुक्त शुभम विश्वकर्मा उर्फ मिंटू विश्वकर्मा से पूछताछ करने पर उसके द्वारा बताया गया कि वह अपनी मौसी के घर पर रहता था। उसकी मौसी करीब 10 दिन पूर्व अपने परिवार के साथ दिल्ली चली गई थी। इसी दौरान उसे जानकारी हुई कि मौसी के घर पर कोई नहीं है, तो वह उनके घर गया तथा घर के पीछे से अंदर प्रवेश कर कमरे का ताला तोड़कर बक्से में रखी दो जोड़ी पायल, एक नाक की कील एवं करीब ₹5,000/- नगद चोरी कर लिया था। चोरी की गई नगदी में से कुछ रुपये खर्च हो गए तथा शेष ₹4,420/- पुलिस द्वारा बरामद कर लिए गए। अभियुक्त ने

बताया कि वह चोरी किए गए आभूषणों को बेचने के लिए मोटरसाइकिल से बाजार जा रहा था, तभी पुलिस द्वारा उसे पकड़ लिया गया।

अभियुक्त के कब्जे से बरामद मोटरसाइकिल प्लेटिना के कागजात प्रस्तुत न किए जाने पर मोटर वाहन अधिनियम की धारा 207 के अंतर्गत सीज किया गया।

बरामदगी का विवरण-

1-02 जोड़ी पायल सफेद धातु।

2-01 अदद नाक की कील पीली धातु।

3-₹4,420/- नगद।

4-01 अदद मोटरसाइकिल प्लेटिना नं0 UP72AV2471 (धारा 207 एमवी एक्ट में सीज)।

गिरफ्तार अभियुक्त-

1-शुभम विश्वकर्मा उर्फ मिंटू विश्वकर्मा पुत्र मुन्नालाल, निवासी ग्राम दांदूपुर मुफरिद, थाना दिलीपपुर, जनपद प्रतापगढ़, उम्र करीब 21 वर्ष।

गिरफ्तारी/बरामदगी करने वाली पुलिस टीम-

उ0नि0 आकाश शुक्ला मय हमराह रि0का0 सूरज कुमार, म0का0 ज्योति, हे0का0 मनोज कुमार, रि0का0 सुबोध यादव, रि0का0 रोहन कुमार, रि0का0 सत्यप्रकाश राय एवं रि0का0 हर्ष मिश्रा, थाना फतनपुर, जनपद प्रतापगढ़।

थाना उदयपुर, जनपद प्रतापगढ़

थाना उदयपुर पुलिस द्वारा चोरी की घटनाओं का अनावरण करते हुए 02 अभियुक्त गिरफ्तार, चोरी के आभूषण, इयरफोन लीड व नगदी बरामद-

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर के निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों पर प्रभावी नियंत्रण तथा वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना उदयपुर पुलिस द्वारा चोरी के दो अभियोगों में प्रकाश में आए 02 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण- दिनांक 17.09.2026 को ग्राम आहड़ बीहड़ में ज्योति पत्नी रामचन्द्र कोरी के घर में चोरी की घटना के संबंध में थाना उदयपुर पर मु0अ0सं0 179/2026 धारा 305(ए) बीएनएस तथा राहाटीकर चौराहे से अगई जाने वाली रोड पर नरेन्द्र ठाकुर के मकान में हुई चोरी के संबंध में मु0अ0सं0 163/2026 धारा 331(4)/305(ए) बीएनएस पंजीकृत था। दिनांक 22.09.2026 को पुलिस टीम द्वारा तलाश वांछित/वारण्टी एवं चोरी के माल की बरामदगी के क्रम में मुखबिर की सूचना पर कटरिया नहर पुलिया से मानसिंह धैकार के खाली पड़े मकान के पास से 02 अभियुक्तों अभय कुमार उर्फ विपिन कोरी एवं रविन्द्र कुमार को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त अभय कुमार उर्फ विपिन कोरी को मु0अ0सं0 163/2026 धारा 331(4)/305(ए) बीएनएस में प्रकाश में लाया गया। अभियुक्त रविन्द्र कुमार को मु0अ0सं0 179/2026 धारा 305(ए) बीएनएस एवं मु0अ0सं0 163/2026 धारा 331(4)/305(ए) बीएनएस में प्रकाश में लाया गया। अभियुक्त अभय कुमार उर्फ विपिन कोरी मु0अ0सं0 179/2026 में पूर्व से नामजद है।

पूछताछ विवरण- पूछताछ में अभियुक्तों द्वारा बताया गया कि दोनों ने दिनांक 17.09.2026 को दिन में करीब 04 बजे ज्योति पत्नी रामचन्द्र कोरी के घर में चोरी की थी। अभियुक्त अभय कुमार उर्फ विपिन कोरी द्वारा घर में प्रवेश कर पायल, ₹500/- नगद एवं इयरफोन लीड चोरी करने तथा अभियुक्त रविन्द्र कुमार द्वारा बाहर रहकर निगरानी करने की बात बताई गई। चोरी की नगदी दोनों ने आपस में बांट ली थी। इसके अतिरिक्त दोनों अभियुक्तों द्वारा करीब एक माह पूर्व राहाटीकर चौराहे से अगई जाने वाली रोड पर नरेन्द्र ठाकुर के मकान का ताला काटकर चोरी करने की बात भी बताई गई। अभियुक्तों के कब्जे से बरामद माल की वादिनी/वादी द्वारा पहचान की गई। बरामदगी के आधार पर दोनों अभियोगों में धारा 317(4) बीएनएस की बढ़ोत्तरी की गई।

बरामदगी का विवरण-

- 1-02 जोड़ी पायल सफेद धातु।
- 2-01 अदद अंगूठी पीली धातु।
- 3-01 अदद लीड (इयर फोन)।
- 4-₹275/- नगद।

गिरफ्तार अभियुक्तगण-

- 1-अभय कुमार उर्फ विपिन कोरी, उम्र करीब 20 वर्ष, पुत्र राजू उर्फ रज्जू कोरी, निवासी ग्राम आहड़ बीहड़, थाना उदयपुर, जनपद प्रतापगढ़।
- 2-रविन्द्र कुमार, उम्र करीब 30 वर्ष, पुत्र शिवकुमार, निवासी ग्राम सुजाखर, थाना सांगीपुर, जनपद प्रतापगढ़, हाल पता ग्राम बड़ी कटरिया, थाना उदयपुर, जनपद प्रतापगढ़।

पुलिस टीम-

उ0नि0 ओम प्रकाश सिंह, उ0नि0 अमित द्विवेदी, उ0नि0 संजय यादव, का0 गिरीश कुमार, का0 अनिल कुमार, का0 जितेन्द्र कुमार एवं का0 पंकज कुमार, थाना उदयपुर, जनपद प्रतापगढ़।

थाना संग्रामगढ़, जनपद प्रतापगढ़

थाना संग्रामगढ़ पुलिस द्वारा अपहरण के अभियोग में वांछित 01 अभियुक्त गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर के निर्देशन में वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना संग्रामगढ़ पुलिस द्वारा धारा 137(2)/87 बीएनएस से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त सुरजीत कुमार पुत्र पृथ्वीराज गौतन निवासी कमल्लीचक रामपुर गरौली थाना मानिकपुर जनपद प्रतापगढ़, उम्र करीब 21 वर्ष को डाक बंगला तिराहा के पास से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1. सुरजीत कुमार पुत्र पृथ्वीराज गौतन, निवासी कमल्लीचक रामपुर गरौली, थाना मानिकपुर, जनपद प्रतापगढ़, उम्र करीब 21 वर्ष।

पुलिस टीम-

उ0नि0 आत्मा प्रसाद यादव का0 कुलदीप यादव थाना संग्रामगढ़ जनपद प्रतापगढ़।

थाना नवाबगंज, जनपद प्रतापगढ़

थाना नवाबगंज पुलिस द्वारा अपहरण के अभियोग में वांछित 01 अभियुक्त गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर के निर्देशन में वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना नवाबगंज पुलिस द्वारा धारा 137(2)/87 बीएनएस से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त मुकुल सरोज पुत्र प्यारेलाल निवासी बहोरीपुर (अरईशपुर), थाना

फाफामऊ, जनपद प्रयागराज, उम्र करीब 24 वर्ष को बरियावां बस स्टैण्ड स्थित यात्री प्रतीक्षालय के पास से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1. मुकुल सरोज पुत्र प्यारेलाल, निवासी बहोरीपुर (अरईशपुर), थाना फाफामऊ, जनपद प्रयागराज, उम्र करीब 24 वर्ष।

पुलिस टीम-

उ०नि० मिथलेश कुमार का० अमित गौड़ का० शुभम यादव थाना नवाबगंज, जनपद प्रतापगढ़

थाना जेठवारा, जनपद प्रतापगढ़

थाना जेठवारा पुलिस द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया-

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा आपराधिक क्रियाकलापों में संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में, थाना जेठवारा पुलिस द्वारा देखभाल क्षेत्र/चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति/वाहन/तलाश वांछित एवं वारण्टी अभियुक्त के दौरान मा० अपर सिवल जज जू डि० कक्ष सं० 23 प्रतापगढ़ से प्राप्त NBW सम्बन्धित मु०अ०सं० 190/2022 धारा 120 (B)/419/420/468/471भादवि थाना जेठवारा प्रतापगढ़ से सम्बन्धित 01 वारण्टी अभियुक्त विवेक कुमार यादव पुत्र अमरनाथ यादव उम्र करीब 36 वर्ष निवासी ग्राम रामपुर कल्हवारी थाना जेठवारा जनपद प्रतापगढ़ को उसके घर से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1- विवेक कुमार यादव पुत्र अमरनाथ यादव उम्र करीब 36 वर्ष निवासी ग्राम रामपुर कल्हवारी थाना जेठवारा जनपद प्रतापगढ़।

पुलिस टीम का विवरण-

उ०नि० राजेन्द्र कुमार पाण्डेय मय हमराह, थाना जेठवारा, जनपद प्रतापगढ़।